एसओपी/ एलआईसी/ एमजीपीएसवाई _ वी _ 1_0

महात्मा गांधी

प्रवासी

सुरक्षा

योजना

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना (एमजीपीएसवाई)

के योजना साझेदार

के रूप में एलआईसी

के लिए

मानक परिचालन प्रक्रिया

.....

प्रस्तावना

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (एमओआईए), भारत सरकार ने उत्प्रावसन जांच अपेक्षा (ईसीआर) वाले 17 देशों में अस्थायी कार्य अनुमति वाले पांच मिलियन से अधिक प्रवासी भारतीय कामगारों के लिए एक विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना (एमजीपीएसवाई) शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य उत्प्रवासन जांच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्टधारी और विदेश प्रवासित अथवा वैध अस्थायी रोजगार/ संविदा वाले वीजा पर विदेश प्रवास करने वाले प्रवासी भारतीय कामगारों को (क) उनकी वापसी और पुनर्वास हेतु बचत करने, (ख) उनके वृद्धावस्था पेंशन के लिए बचत करने (ग) स्वाभाविक मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने, समर्थ बनाने और सहायता करने का है। ईसीआर पासपोर्ट वाला कोई भी पुरूष या महिला प्रवासी भारतीय जिसकी आयु 18 और 50 के बीच हो और जो विदेश जाने की प्रक्रिया में हो अथवा जो रोजगार/ संविदा वीजा पर पहले ही विदेश प्रवास कर गया हो, इस योजना में शामिल होने का पात्र है।

एमजीपीएसवाई में योजना साझेदार:

एमजीपीएसवाई को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) विनियमित उत्पादों को उनकी संस्थागत संरचना का उपयोग करते हुए लागू किया जाता है। एमजीपीएसवाई के अंतर्गत उपभोक्ता के पास (क) यूटीआई म्युचुअल फंड की निर्धारित योजना में निवेश के माध्यम से उनकी वापसी और पुनर्वास हेतु बचत करने (ख) एनपीएस लाइट के माध्यम से उनकी वृद्धावस्था के लिए बचत करने और (ग) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से कवरेज की अवधि के दौरान स्वाभाविक और दुर्घटना में मृत्यु के लिए जीवन बीमा कवर प्राप्त करने का विकल्प होगा। ये तीन साझेदार योजनाएं निम्नवत् हैं:

(एक) एनपीएस लाइट (पीएफआरडीए)

(दो) मासिक आय योजना (यूटीआई)

(तीन) आम आदमी बीमा योजना जो पूर्व में जनश्री बीमा योजना थी (एलआईसी)

एमजीपीएसवाई की रिकार्ड रखने की प्रणाली (एमआरकेएस) एमजीपीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए आईटी अवसंरचना प्रदान करेगा और इसलिए यह इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। इस परियोजना में शामिल सभी पणधारकों को एमआरकेएस में पंजीकृत किया जाएगा।

प्रत्येक मुख्य पणधारक की एक विशेष पंजीकरण संख्या से पहचान की जाएगी। यह दस्तावेज उपभोक्ता के पंजीकरण और सदस्यता संबंधी आईडी जारी करने के लिए उनके कार्यों के संबंध में एलआईसी की एक योजना साझेदार के रूप में भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करेगा।

एलआईसी की भूमिका और जिम्मेदारी:

एमजीपीएसवाई में एक योजना साझेदार के रूप में एलआईसी की जिम्मेदारी एमआरकेएस से पंजीकरण ब्यौरा डाउनलोड करना और एमआरकेएस में तदनुरूपी पीएलआईएफ आईडी के लिए व्यक्तिगत सदस्यता आईडी को अपलोड करना है।

क. पंजीकरण ब्यौरों को डाउनलोड करना:

जब बीपी साझेदार योजनाओं में निवेश के लिए उपभोक्ता के खाते से ली गयी राशि को अंतरित कर लेता है तो बीपी इसे एमआरकेएस में निधि पुष्टि फीड (एफसीएफ) को अपलोड करेगा। बाद में एक पंजीकरण फाइल सृजित किया जाएगा जिसे एलआईसी द्वारा डाउनलोड किया जाना होता है।

एलआईसी को अपने पासवर्ड आधारित यूजर आईडी से एमआरकेएस में लॉग इन कर पंजीकरण संबंधी ब्यौरों को डाउनलोड करना होता है। जब एलआईसी यूजर एमआरकेएस में लॉगइन करेगा तो एक स्वागत स्क्रीन आएगा जिसे निम्न चित्र1 में दर्शाया गया है।

(चित्र 1)

पंजीकरण संबंधी ब्यौरों को डाउनलोड करने के लिए एलआईसी को ''डाउनलोड'' मेनू के अंतर्गत ''एलआईसी अनुरोध'' के उप मेनू का चयन करना होता है, इसे चित्र 2 में दर्शाया गया है।

(चित्र 2)

यूजर को ''उक्त तिथि से'' और ''उक्त तिथि तक'' में प्रविष्टि कर सर्च पर क्लिक करना होता है। इस तिथि की अवधि 15 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस अवधि के दौरान सृजित फाइलों को चित्र 3 में दर्शाए गए अनुसार लाया जाएगा।

(चित्र 3)

डाउनलोड की गयी फाइल ''.सीएसवी'' फार्मेट में होगा जिसे एमएस एक्सेल में खोला जा सकता है। इन आंकड़ों और एमओआईए से प्राप्त प्रपत्रों (जो सेवा प्रदाताओं द्वारा मंत्रालय को दिया जाता है) के आधार पर एलआईसी को उपभोक्ताओं को पंजीकृत और प्रत्येक पंजीकृत उपभोक्ता को व्यक्तिगत

सदस्यता आईडी आबंटित करना होता है। इस सदस्यता आईडी को एमआरकेएस को अपलोड करना होता है।

ख. व्यक्तिगत सदस्यता आईडी को अपलोड करना:

एमजीपीएसवाई में योजना साझेदार के रूप एलआईसी को व्यक्तिगत सदस्यता आईडी को एमआरकेएस में अपलोड करना होता है।

इन ब्यौरों को एक्सेल फाइल में प्रविष्ट किया जाना होता है। इस फाइल की तैयारी के लिए निम्न कदमों का अनुसरण किया जाता है-

एक. पीएलआईएफ आईडी को शीट 1 के कॉलम क में प्रविष्ट करना होता है।

दो. शीट 1 के कॉलम ख में आठ अंकों वाले तदनुरूपी सदस्यता आईडी भरा जाना होता है ।

तीन. सदस्यत आईडी को एक पाठ के रूप में भरा जाना चाहिए अर्थात् सदस्यता आईडी के पूर्व विशेष अक्षर (‘) भरा जाना चाहिए।

चार. पंक्तियों में कोई हेडर नहीं होना चाहिए।

पांच. इनके बीच किसी भी खाने को खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

छह. फाइल को .सीएसवी फार्मेट में सेव किया जाना चाहिए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

(चित्र 4)

तत्पश्चात यूजर को पासवर्ड आधारित यूजर आईडी का उपयोग करते हुए एमआरकेएस पर लॉग इन करना होता है और ‘‘एलआईसी अपलोड’’ मेनू के अंतर्गत ‘‘अपलोड’’ उप मेनू में जाना होता है, जैसा कि चित्र 5 में दर्शाया गया है।

(चित्र 5)

एक बार जब एलआईसी यूजर ‘‘अपलोड’’ पर क्लिक करेगा तो निम्न वर्णित स्क्रीन आएगा। ‘‘एड फाइल’’ का चयन करते हुए ब्यौरों को अपलोड किया जा सकता है।

(चित्र 6)

एक बार जब फाइल सफलतापूर्वक अपलोड हो जाता है, तो फाइल संदर्भ संख्या (एफआरएन) प्रकट होगा जिसका भविष्य में संदर्भ के लिए एलआईसी द्वारा बनाए रखने की आवश्यकता होती है।

(चित्र)

एलआईसी एफआरएन का उपयोग करते हुए फाइल अपलोड की स्थिति जान सकता है। फाइल की स्थिति जानने के लिए यूजर को '' एलआईसी अपलोड'' मेनू के अंतर्गत ''फाइल स्थिति दृश्य'' उप मेनू का चयन करना होता है जिसे चित्र 7 में दर्शाया गया है।

(चित्र 7)

यूजर इसकी स्थिति जानने के लिए एआरएन की प्रवृष्टि कर सकता है अथवा फाइल को अपलोड किए जाने की तिथि का चयन कर सकता है। (संदर्भ चित्र 8)

(चित्र 8)

यदि फाइल को रद्द कर दिया जाता है तो ''एरर फाइल'' कॉलम जिसे चित्र 9 में दर्शाया गया है, के अंतर्गत् हाइपर लिंक पर क्लिक कर त्रुटिपूर्ण संदेश को देखा जा सकता है। यदि फाइल को रद्द कर दिया जाता है तो फाइल के सभी रिकार्डों को पुन: अपलोड किया जाना होता है।

(चित्र 9)

.....